

कार्यालय जिलाधिकारी, आजमगढ़  
संख्या 868/सात-भूलेख-ले0प0-2015

दिनांक 18 मार्च, 2017

आदेश/आवंटन

लेखपाल भर्ती परीक्षा-2015 में चयनित 615 अभ्यर्थियों में से 601 अभ्यर्थियों का परिषदादेश संख्या 2749/4-1बी/2016 दिनांक 18.04.2016 में निहित निर्देशों के क्रम में चरित्र सत्यापन प्राप्त होने पर जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त इन्हें लेखपाल पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु तहसील आवण्टन किया जा चुका है। पुनः परिषदादेश संख्या-2749 /4-1बी/2016 दिनांक 18.04.2016 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में अवशेष अभ्यर्थियों में से 07 अभ्यर्थियों को लेखपाल पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु सत्यापन प्राप्त हो चुका है।

अतः जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 17.03.2017 द्वारा इन अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली-2006 यथा संशोधित-2015 के अन्तर्गत तहसील का आवंटन निम्नवत् किया गया है:-

Seri al n0	Res ult Seri al n0	Roll Number	Selected candidate's Full Name	Father's Name	Sex	select in category	Address		Allotted Tehsil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	57	191214150591	AWADHESH SINGH	SARNAM SINGH	Male	UR	किस केरा	कानपुर	MARTINGANJ
2	89	191219510492	RAMAYAN PRASAD MISHRA	JITENDRA KUMAR MISHRA	Male	UR	हरीपुर बनवा	सुल्तानपुर	MARTINGANJ
3	119	191226970882	DHANANJAY KUMAR SHUKLA	AWADHESH PRASAD SHUKLA	Male	UR	34 गीतान्ज ली काम्प्लेक्स I कोटरा रोड	भोपाल	PHOOLPUR
4	251	191230660410	MRITYUNJAY SINGH	RAJENDRA SINGH	Male	UR	सराय वृन्दावन	आजमगढ़	NIZAMABAD
5	324	191226970319	VERSHA SHARMA	SANTOSH KUMAR SHARMA	Femal	UR	हर्ष बिहार कालोनी इन्द्रगढ़ी	गाजिया बाद	AZAMGARH
6	605	194219580211	KRISHNA KUMAR NAYAK	CHANDRA MOHAN NAYAK	Male	ST	इन्द्रपुर	गोरखपुर	AZAMGARH
7	612	194219260449	MANOJ KUMAR RAM	GORAKH RAM	Male	ST	मैरीटार	बलिया	MARTINGANJ

उपर्युक्त चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी / उपजिलाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं:-

1- क्रमांक 04 पर अंकित अभ्यर्थी श्री मृत्युंजय सिंह पुत्र स्व0 राजेन्द्र सिंह नि0 ग्राम सरायवृन्दावन थाना तरवाँ तहसील मेंहनगर के विरुद्ध अपराधिक वाद पंजीकृत होने के कारण मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या ए-176/2017 मृत्युंजय सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.01.2017 के क्रम में प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 12.01.2017 को आदेश संख्या 802/सात-भूलेख दिनांक 07 फरवरी 2017 द्वारा निस्तारित किया गया है जिसमें अभ्यर्थी को लेखपाल पद पर नियुक्ति प्रतिबन्धों के साथ की जायेगी। निस्तारण आदेश अनुपालनार्थ संलग्न है।

2- क्रमांक 06 पर अंकित श्री कृष्ण कुमार नायक पुत्र श्री चन्द्रमोहन नायक अनु0जनजाति श्रेणी के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी है। श्री कृष्ण कुमार नायक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट-ए/9325/ 2016 (गोरखपुर) कृष्ण कुमार नायक बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.02.2016 के आलोक में लेखपाल पद पर (provisionally) नियुक्ति की जायेगी। समस्त अभिलेख अनुपालनार्थ संलग्न है।

3-तहसीलों में आवंटित किये गये अभ्यर्थियों से संबंधित पत्रावली में उनके चरित्र सत्यापन एवं अन्य अभिलेख संलग्न है।

4-लेखपाल पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली- 2006 यथा संशोधित नियम-17 के अन्तर्गत एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा प्रशिक्षण के अन्त में एक अर्हकारी परीक्षा आयोजित की जायेगी। इस हेतु मा0 परिषद स्तर से निर्देश के क्रम में आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

5-राजस्व परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके गृह निवास के विकास खण्ड को छोड़कर नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

6-नियुक्ति आदेश में लेखपाल सेवा नियमावली 2006 के नियम-18(4) का उल्लेख अवश्य किया जाय।

7-नियुक्ति प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों/ अन्य प्रमाण पत्रों की परीक्षणोपरान्त नियुक्ति आदेश निर्गत किये जायेंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से भूलेख अनुभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(बी0के0गुप्ता)

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)  
आजमगढ़।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-4 लखनऊ।

2-आयुक्त आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।

3-उपजिलाधिकारी सदर, निजामाबाद, फूलपुर, मार्टीनगंज।

4-प्रधानाचार्य, मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय मऊ।

5-पंजीकरण अधिकारी/ नायब तहसीलदार सदर, आजमगढ़।

✓ 6-डी0आई0ओ0(एन0आई0सी0) को इस निर्देश के साथ कि आदेश को जनपद की वेबसाईट <http://azamgarh.nic.in> पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)  
आजमगढ़।